

**परिशिष्ट-1**  
**झारखण्ड सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

अधिसूचना सं०-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ० ..... 6669 राँची, दिनांक-30/10/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-18(1) में निहित प्रावधान के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद से अयोग्य करने हेतु अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017" के नियम-3-3.14 में निम्न रूपेण संशोधन किया जाता है:-

क्र०	नियमावली का नियम	अधिसूचित नियमावली में किया गया प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	नियम 3-3.14	अगर दिनांक-31.12.2017 की अवधि के पश्चात् उसके दो से अधिक जीवित संतान हों,	अगर उसके दो से अधिक जीवित संतान है, परन्तु यह कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान है तो वह अयोग्य नहीं होगा।

2. उपर्युक्त स्तंभ-4 में यथा उल्लेखित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011, गजट अधिसूचना संख्या-63, दिनांक-9 फरवरी, 2012 को प्रवृत्त हुआ है।

अतएव 9 फरवरी, 2013 तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतान है, तो वह अयोग्य नहीं होगा।

3. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

4. "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2017" में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
26.10.17


(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ० ..... 6669 राँची, दिनांक-30/10/17

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

  
26.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ० ..... 6669 राँची, दिनांक-30/10/17

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
26.10.17

सरकार के प्रधान सचिव।

349

ज्ञापांक-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ० 6669 राँची, दिनांक-30/10/17

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-10-17  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/नीति निर्धारण-10/2016/न०वि०आ० 6669 राँची, दिनांक-30/10/17  
प्रतिलिपि:-श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

26-10-17  
सरकार के प्रधान सचिव।

(4)